

प्रेस नोट दिनांक 04.09.2020
थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।

थाना शेरगढ़ #bareillypolice द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित व टॉप 10 अपराधी सरताज को एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बरेली के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी जनपद बरेली के कुशल नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 04.09.2020 को थाना शेरगढ़ पुलिस ने टॉप 10 सूची में नामित अपराधी सरताज पुत्र यासीन निवासी सिरौली कला थाना किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था को टाण्डा तिराहा कस्बा शेरगढ़ से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 07.44 बजे गिरफ्तार किया गया। जो गौवंशीय पशुओं को भी काटकर उनके मांस का अवैध व्यापार करता था तथा पूर्व में इस अपराध में जेल जा चुका है। उपरोक्त अभि० शातिर किस्म का अपराधी है इसके पकड़े जाने से थाना पुलिस की उच्चाधिकारियों द्वारा व जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सरताज पुत्र यासीन नि० सिरौली कला थाना किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 21/2020 धारा 3/5क/8 CS ACT व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।
2. मु०अ०सं० 82/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।
3. मु०अ०सं० 157/2020 धारा 3/25 A ACT थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।

बरामदगी:-

1. एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. कां० 778 टेकचन्द थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।
2. कां० 1986 सोनूपाल थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली ।